न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–09/2014–15

हबिबूर रहमान

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	02	3

आदेश

23.8.16

प्रश्नगत अपील अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक–2558, दिनांक 20.12.2014, जिसके द्वारा अपीलार्थी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या–13बी0/2007 को रद्द किया गया है, के विरूद्ध अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है।

अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने के आधार के रूप में अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली के दुकान की जाँच के क्रम में 166 बैंग चावल एवं 80 बैंग गेहूँ पाये जाने, करीब 40 चावल की बोरी की कम्पनी की सिलाई निकालकर सुतरी से सिलाई किये जाने तथा अन्त्योदय एवं अन्य योजना के खाद्यान्न में भंडारण से कम खाद्यान्न पाये जाने एवं किरासन तेल का वितरण सही ढंग से नहीं किये जाने का आधार अंकित है।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि वे एक ईमानदार छबी के विक्रेता हैं तथा गाँव की गन्दी राजनीति के प्रभाव में कुछ लोगों की स्वार्थ पूर्ति नहीं होने की स्थिति में कई व्यक्तियों के जाली हस्ताक्षर युक्त आवेदन पर मनगढंत एवं तथ्यहीन बातों के आधार पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की गयी है।

Received for S.O.S. 20/10/2016

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भी सुनवाई के क्रम में समरूप अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), खगड़िया द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना न्यायोचित है क्योंकि जाँच के क्रम में भंडार में कम खाद्यान्न पाये जाने तथा कुछ बोरी का रूप परिवर्तित कर दिये जाने के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है। अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

वस्तु स्थिति की सम्यक समीक्षा हेतु निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के पठन से विदित है कि अपीलार्थी द्वारा कई प्रकार की गंभीर अनियमितता की गयी है। चावल की बोरी से कंपनी की सिलाई को तोड़ देने तथा नयीं सिलाई कर देने से अपीलार्थी की मंशा स्पष्ट है। अपीलार्थी ने जाँच के समय आवश्यक कागजात नहीं उपलब्ध कराकर गंभीर अनुशासनहीनता का कार्य किया है। खाद्यान्न तथा किरासन तेल का ससमय वितरण न कर न केवल उपभोक्ताओं को लाभ से वंचित किया है बल्कि सरकार की महत्वपूर्ण

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	02.	3
	योजना को भी विफल किया है। उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा प्रश्नगत अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित आदेश ज्ञापांक–2558 दिनांक 20.12.2014 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है। लेखापित एवं संशोधित जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया	
	डी0बी0 06 (प्र0) / विधि, दिनांक 23/8/2016 प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। 23/8/2016 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया। 23/8/16	